दस रुपये TEN RUPEES | पांच रुपये FIVE RUPEES

(108)

न्यायालय राजस्व मन्डल ग्वालियर उज्जैन संभाग उज्जैन म प्र

निगरानी प्र०क्र० /07

R 574-I/07

सुरेन्द्र सिह आत्मज सजनसिह निवासी 44 बीमानगर इन्दौरम प्र -------- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1-कैलाश पिता पुरूषोतम निवासी 43/1 छीपा बाखल इदौर

2- गजेन्द्र सिह पिता स्व० राजेन्द्र निवासी 66 कैलाश पार्क गीताभवन के पास इन्दौर

3- कैलाश अग्रवाल एडवोकेट रिसीवर निवासी 186 देवी अहिल्या मार्ग जेलरोड इन्दौर

--------रेस्पाडेन्टस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता

माननीय महोदय

प्रार्थी व्दारा अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 4/94-95 अपील आदेश दिनांक 28-12-06 से असन्तुष्ट होकर उक्त निगरानी श्रीमान के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण के तथ्य

यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि तेहसील बागली जिला देवास मे भूस्वामी संयुक्त खाता नम्बर 99-79-80 कुल सर्वे नम्बर 10 रकबा 39.364 लगान 83.84 पैसे सर्वे नम्बर 572/1 रकबा 4.435 हेक्टर लगान 13.69 पैसे 572/2 रकबा 3.064 हे0 लगान 8-57 कुल रकबा 7.499 लगान 22.26 रूपये के उक्त कृषि भूमि निगरानीकर्ता व प्रतिप्रार्थी क्र0 2 की संयुक्त परिवार की पैत्रक संपति है और निगरानीकर्ता एवं प्रतिप्रार्थी के बीच संपतियों के बटवारे के सम्बन्ध मे सन 1958 से दीवानी दावे विचाराधीन है और उक्त संपतियों के संबंध मे इन्दौर के उच्च न्यायालय मे अपील विचाराधीन है ।

2- यह कि इस निगरानी मे विवादित कृषि भूमि व निगरानीकर्ता एव प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और उनके परिवार की समस्त चल अचल संपति के बटवारे की विषय वस्तु के सम्बन्ध मे राजमाता गोवेकनकुवर

(100)

(90)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-574-एक/2007

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 16-02-2015 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	